पत्र सं0–वि॰ प्रा॰ (IV) योजना –57 / 2019–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

**महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहारे**

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक –

**विषय** :– सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के परिसर में Renovation with addition & alteration to E.I and 3 Phase wiring in Administrative Building, Workshop Building and along with SITC of 630 KVA Compact Sub-Station कार्य हेतु कुल रू० 3,34,75,379.00 (तीन करोड़ चौतीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ उनासी रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**आदेशः– स्वीकृत।**

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–15(भ)अनु, दिनांक–01.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक–27.08.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक एवं दिनांक–09.09.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज के परिसर में Renovation with addition & alteration to E.I and 3 Phase wiring in Administrative Building, Workshop Building and along with SITC of 630 KVA Compact Sub-Station कार्य हेतु कुल रू० 3,34,75,379.00 (तीन करोड़ चौतीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ उनासी रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय, भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–03 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष –2059– लोक निर्माण कार्य, उप मुख्यशीर्ष –80– सामान्य, लघुशीर्ष –053– रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष –0018– इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग), के अधीन विषयशीर्ष **"27 02–अनुरक्षण एवं मरम्मत"** में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड–03–2059800530018 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, छपरा को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, छपरा होंगे।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, छपरा से की जायेगी।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन राशि तक सीमित रहेगा।

7. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता की होगी।

8. राशि की निकासी एवं व्यय, बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०–**वि॰ प्रा॰ (IV) योजना–57/2019** के पृ०–77/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

**(कुमार सिद्धार्थ)**

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019– /पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019– /पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपिः–** सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019– /पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपिः–** जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019– /पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपिः–** जिला कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019–** **/पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपिः–** प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

**ज्ञापांक– वि॰ प्रा॰ (IV)योजना–57/2019–** 6041 **/पटना, दिनांक–** 22.9.2026

**प्रतिलिपिः–** माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी(एम०)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/26

सरकार के संयुक्त सचिव